न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2024/202

मिसल नम्बर– 59 / 2024

कृष्ण कुमार सिंह राठौड आत्मज स्व0 पंचम सिंह आयु 80 वर्ष निवासी मकान नं0 4 एच 16 तलवण्डी कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.प्रशांत सिंह राठौड़ आत्मज कृष्ण कुमार सिह राठौड़ आयु 46 वर्ष
2.श्रीमति सीमा कंवर पत्नी प्रशांत सिंह राठौड़ आयु 40 वर्ष निवासी मकान नं0 4 एच 16 तलवण्डी कोटा

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक... 6/12/24.

उपस्थिति:–

1.श्री महेन्द्र सिंह हाड़ा प्रार्थी लीगल अधिवक्ता।
2.श्री रविन्द्र विजय अप्रार्थीगण अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी 80 वर्षीय सीनियर सिटीजन है जो काफी वृद्ध है जो अधिकतर बीमार रहता है एंव प्रार्थी ने अपनी जीवन भर की स्वअर्जित आय से एक मकान वाके मकान नं 4 एच 16,तलवण्डी कोटा राजस्थान खरीद किया था प्रार्थी अपनी वृद्ध 75 वर्षीय पत्नी के साथ जीवन यापन कर रहा है। अप्रार्थी क्रम 1 प्रार्थी का पुत्र है तथा अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी की पुत्रवधु है। जो प्रार्थी की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा एवं मालिकाना हक वाले मकान मे साथ ही निवास करते है अप्रार्थी क्रम 1 बडी कंपनी मे नौकरी करता है एवं इस नौकरी से अप्रार्थी कम 1 की मासिक आय लगभग 60–70 हजार रूपये है जबकि प्रार्थी कम 1 व उसकी पत्नी अत्यधिक वृद्ध एवं अधिकतर समय हारी बीमारी से ग्रसित होने के कारण कोई काम धन्धा करने मे असमर्थ रहते है प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के जीवन बसर करने का कोई साधन नही है एवं प्रार्थी एवं उसकी पत्नी के पास बीमारियो का इलाज करवाने तक का खर्चा नही है अप्रार्थीगण प्रार्थी व उसकी पत्नी के मकान मे निवास करने के बावजूद आए दिन लडाई झगडा कर प्रार्थी व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करते है कहते है कि प्रार्थी की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा मकान वाके 4 एच 16 तलवण्डी कोटा को प्रार्थी अपने जीवनकाल मे अप्रार्थीगण के नाम कर देवे अन्यथा वह उनका जीना हराम कर देंगे और इसी दबाव के चलते अप्रार्थीगण पिछले 6–7 माह से अधिक समय से

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी व उसकी पत्नी को नाजायज परेशान कर गाली गलौच एवं मारपीट करते है जिसके कारण पिछले लगभग एक माह से प्रार्थी व उसकी पत्नी अपने मकान से बेघर होकर दर दर की ठोकरे खाने को मजबूर है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी एवं उसकी पत्नी से स्पष्ट कह दिया है कि अब इस मकान मे तुम्हे तभी घुसने देंगे जब तुम यह मकान हमारे नाम कर दोगे इस प्रकार अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व उसकी पत्नी को उन्ही के घर से बेघर कर दिया है। प्रार्थी क्रम 1 के जीवनकाल मे कमाई हुयी समस्त जमा धन शशि अप्रार्थीगण ने डरा धमका कर छीन ली है और अब प्रार्थी के पास अपनी स्वअर्जित आय से निर्मित मकान ही उनकी संपत्ति है जिसे भी अप्रार्थीगण हडप कर बेचान करना चाहते है इसलिए आए दिन प्रार्थी से लडाई झगडा कर मारपीट करने पर उतारू हो जाते है तथा अप्रार्थी क्रम 2 प्रार्थी को धमकाती है कि मै तुम्हे झूठे मुकदमो मे फंसा दूंगी पुलिस मेरा कुछ नही बिगाड सकती। अप्रार्थीगण प्रार्थी के साथ गाली गलौच एवं मारपीट मकान को जबरन हडप कर अपने नाम जबरन करवाने पर उतारू है। अप्रार्थीगण प्रार्थी के मकान मे जबरन निवास कर रहे है और नल एवं लाईट का दुरूपयोग कर आवश्यक बिल की शशि बढा रहे है और नल लाईट के बिल का भुगतान भी प्रार्थी पिछले कई वर्षों से कर रहा है लाईट व पानी के बिल् की मांग अप्रार्थीगण से किए जाने पर अप्रार्थींगण प्रार्थी के साथ मारपीट एवं गाली गौच पर आमादा हो जाते है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के अत्याचारो से दुखी होकर श्रीमान पुलिस अधीक्षक कोटा शहर कोटा को दिनांक 21–6–2024 को एक परिवाद प्रस्तुत किया था एवं श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट सिटी कोटा को दिनाक 20–6–2024 को परिवाद प्रस्तुत किया एवं पुलिस थाने मे भी कई बार प्रार्थी जा चुका है किन्तु अप्रार्थीगण के अत्याचारो का प्रार्थी एवं उसकी पत्नी को कोई संरक्षण पुलिस द्वारा प्रदान नही किया गया है। जिस कारण प्रार्थी श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी के मकान से बेदखल किया जावे एवं प्रार्थी की स्वअर्जित आय से खरीदशुदा मकान वाके मकान नं 4 एच 16, तलवण्डी कोटा राजस्थान से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जावे एवं प्रार्थी व उसकी पत्नी के भरण पोषण की एवं हारी बीमारी के लिए अप्रार्थीगण से 20,000/– मासिक दिलाया जावे तथा प्रार्थी व उसकी पत्नी की सुरक्षा सुनिश्चित करवाए जाने के आदेश प्रदान करे। एवं प्राथी व उसके पत्नी के साथ अप्रार्थीगण द्वारा किए गए अत्याचार के लिए अप्रार्थीगण को दण्डित किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा अपनी आयु प्रार्थना पत्र मे गलत अंकित की गई है जबकि उनकी आयु 75 वर्ष है पत्नी के साथ उउनका निवास करना स्वीकार है। अप्रार्थी क्रम 1 का बडी कम्पनी मे नौकरी करना तथा उसकी आय 60–70 हजार रूप्ये होना पूर्णतया अस्वीकार है अगर ऐसा होता तो निश्चित रूप से प्रार्थी कोई प्रमाण मासिक आय के संबंध मे प्रस्तुत करता। प्रार्थी एवं उसकी पत्नी का अधिकतर समय बीमारी से ग्रसित होना पूर्णतया अस्वीकार है। दोनो पूर्णतया स्वस्थ है और उनकी देखभाल एवं खाने की व्यवस्था अप्रार्थींगण द्वारा ही की जाती है, अप्रार्थी क्रम 2 प्रतिदिन पूरे परिवार के लिये व अपने सास ससुर के लिये भोजन बनाती है तथा पूरी तरह सेवा करती है। प्रार्थी द्वारा यह अंकित करना भी पूर्णतया अस्वीकार है कि प्रार्थी के जीवन बसर करने का कोई साधन नही है क्योकि प्रार्थी के मकान में 5 किरायेदार रहते है जिनका किराया वह स्वयं लेते है जो 20 से 25 हजार रूपया है। प्रार्थी द्वारा यह अंकित किया जाना भी बिल्कुल गलत अकित किया गया है कि अप्रार्थीगण उनके साथ लडाई झगडा करते है जबकि प्रार्थी, अप्रार्थी क्रम 2 उनकी पुत्रवधू होने के बावजूद भी उस पर गंदी नजर रखते है व उसके साथ अनेक बार छेडखानी कर चुके हे जिससे परेशान होकर अप्रार्थी क्रम 2 ने थाना जवाहर नगर मे एक

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

एफआईआर भी दर्ज करवाई है जिसका एफआईआर संख्या 233/2024 है। यह अंकित करना कि प्रार्थी व उसकी पत्नी को मारपीट करने के कारण उन्हें घर से निकाल दिया है वह स्वयं अपनी मर्जी से पिछले एक माह से अपनी बेटी के यहां निवास कर रहे है, हम अनेक बार उनसे अनुनय विनय कर चुके है कि वह मकान मे आकर निवास करे परन्तु वे जबरदस्ती अप्रार्थीगण को घर से निकालना चाहते है जिसका वर्णन भी विस्तृत रूप से एफआईआर संख्या 233/2024 मे अंकित है। बिजली का बिल अप्राथीगण द्वारा भरा जा रहा है जिसकी रसीद भी जवाब के साथ प्रस्तुत हैं फिर भी प्रार्थी द्वारा यह गलत तथ्य अंकित किये है। यहां यह भी अंकित करना आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी ने अप्राथीगण को परेशान करने की नियत से दिनांक 07.08.2024 को बिजली विभाग मे प्रार्थना पत्र देकर बिजली कनेक्शन मकान का कटवा दिया। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मकान मे कुछ बच्चे जो कोटा मे कोचिंग ले रहे है वह भी रहते है तथा अप्रार्थीगण की बेटी अनवी भी 9वी की छात्रा है उसकी पढाई में भारी व्यवधान पैदा किया और उस दिन रातभर अप्रार्थीगण व उनकी पुत्री को व किरायेदार बालको को अंधेरे मे रहना पडा तथा उनकी पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ। दूसरे दिन दिनांक 08.08.2024 को अप्रार्थीगण महानिरीक्षक महोदय पुलिस से जाकर मिले तथा उन्हे सारी घटना बताई तो उनके द्वारा थानाधिकारी महिला थाना कोटा को निर्देशित किया कि परिस्थतियो को देखते हुये प्रार्थी कृष्ण कुमार सिंह के पुत्र अप्रार्थी क्रम 1 के नाम अस्थाई कनेक्शन करने का श्रम करे। यह पत्र थानाधिकारी महिला थाना द्वारा श्रीमान सहायक अभियन्ता केइडीएल विज्ञान नगर कोटा को भिजवाया गया उसके बाद भी सहायक अभियन्ता द्वारा अप्रार्थी क्रम 1 के नाम अस्थाई कनेक्शन नही किया गया केवल मात्र बिजली कनेक्शन को चालू कर दिया, प्रार्थी आये दिन बिजली विभाग मे जाकर कनेक्शन काटने की प्रार्थना करता रहता है जिससे बिजली विभाग मे लोग आये दिन अप्रार्थीगण को धमकाते रहते है कि हम बिजली कनेक्शन को काटेंगे। इसी प्रकार नल का कनेक्शन कटवाने की भी प्रार्थी, अप्रार्थीगण को धमकी देते रहते है। प्रार्थी आये दिन अप्रार्थीगण व उनकी पुत्री अनवी को घर से निकालने की धमकी देते रहते है तथा अनेक बार घर सें निकालने का प्रयास कर चुके है तथा आये दिन अप्रार्थीगण व उनकी पुत्री के साथ मारपीट करते है जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण की पुत्री अनवी द्वारा श्रीमान जिला न्यायाधीश महोदय कोटा के यहां सम्पत्ति के विभाजन का दावा पेश कर रखा है। क्योकि अनवी प्रार्थी की पोत्री है और इस नाते मकान पैतृक होने के नाते उसका इस मकान मे हिस्सा बनता है इस वाद मे सहायक अभियन्ता केइडीएल विज्ञान नगर कोटा को भी प्रतिवादी बनाया गया है क्योकि वह भी आये दिन अप्रार्थीगण की बिजली काटने को आमादा रहता है। वाद पत्र की प्रति जवाब के साथ संलग्न है जिला न्यायाधीश द्वारा वाद को सुनवाई के लिये न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश कम 4 कोटा मे भेजा गया है जिसमे प्रतिवादी कम 3 व 5 अपनी उपस्थिति भी दे चुके है शेष प्रतिवादीगण भी तलबी के लिये अपर जिला न्यायाधीश महोदय कम 4 के आदेश से रजिस्टर्ड एडी ने नोटिस भिजवाये गये है और इसलिये इस कम में श्रीमान से नम्र निवेदन है कि माननीय अपर जिला न्यायाधीश महोदय कम 4 कोटा के द्वारा जब तक वाद एवं उसके साथ प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर कोई निर्णय हो जाने तक इस प्रार्थना पत्र मे जो प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय मे प्रस्तुत किया है, कोई आदेश न करने का अप्रार्थीगण निवेदन करते है साथ ही गलत तथ्यो पर प्रार्थना पत्र पेश किया गया है इसलिये प्रार्थना पत्र को खारिज करने का भी निवेदन करते है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बाद प्रार्थी कभी माननीय न्यायालय में उपस्थिति नही हुये है जबकि अप्रार्थीगण प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित रहे है। इस बिना पर भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी की ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की गई एवं अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया है कि प्रार्थी का पुत्र अप्रार्थी नं0 1 प्राइवेट नौकरी करता है। अभी प्रार्थी अपने बेटी के पास निवासा कर रहे हे, खुद के हिस्से पर ताला लगा रखा हैं। उक्त मकान तीन मंजिला बना हुआ है, तीसरी मंजिल के 2 कमरे अप्रार्थीगण को निवासी हेतु प्रदान करने के आदेश दिये जाने का निवेदन किया है।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मारपीट करने एवं प्रार्थी को मकान से बेदखल करने का कथन किया है परन्तु प्रार्थी द्वारा अपने वर्णित कथनों के सम्बंध में इस प्रकार का कोई भी ठोस दस्तावेज या सबूत या रिपोर्ट प्रस्तुत नही की गई जिससे प्रार्थी के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। जिस कारण से प्रार्थी अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को वर्णित मकान मकान नं0 4 एच 16 तलवण्डी कोटा से बेदखल किये जाने की प्रार्थना स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि उक्त मकान प्रार्थी की स्वअर्जित सम्पत्ति है इसलिए अप्रार्थीगण को उक्त मकान मकान नं0 4 एच 16 तलवण्डी कोटा में इस शर्त के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाती है कि वे उपरोक्त मकान की तृतीय मंजिल पर निवास करे तथा प्रथम एवं द्वितीय मंजिल पर प्रार्थी के शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रार्थी के साथ भविष्य में अभद्र व्यवहार एवं मारपीट ना करे। चूंकि प्रार्थी वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाते हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थी अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर अप्रार्थी क्रम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपने पिता को 6000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों। उक्त आदेश की पालना नही किये जाने की स्थिति में प्रार्थी उक्त परिसर से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु अग्रिम कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 6/12/24. को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा